

## अध्याय-2

“शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

### कार्यकारी सारांश

नगरीय ठोस अपशिष्ट में खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के अतिरिक्त, किन्तु परिष्कृत जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अथवा अर्ध ठोस रूप में उत्पन्न आवासीय एवं व्यावसायिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन नियमावली 2000 बनायी गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए प्रत्येक प्राधिकारी उत्तरदायी है।

वर्ष 2011-16 की अवधि के लिये 10 जनपदों की 36 शहरी स्थानीय निकायों का आच्छादन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर एवं नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर के अतिरिक्त अन्य किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नगर योजना नहीं बनायी गयी थी।

**प्रस्तर 2.6.1**

- राज्य की 604 शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें स्वीकृति नहीं थी। कुल शहरी स्थानीय निकायों के मात्र 1.4 प्रतिशत में ही सुविधायें उपलब्ध थीं। नमूना जांच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र सात के लिए ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा स्वीकृत की गयी थी जबकि इनमें से मात्र तीन ही परिचालन में थीं।

**प्रस्तर 2.6.2**

- राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लागत (₹505.30 करोड़) का 35 प्रतिशत (₹177.91 करोड़) अप्रयुक्त पड़ा हुआ था क्योंकि 19 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना का कार्य विभिन्न कारणों से रुका हुआ था।

**प्रस्तर 2.7.1**

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 37.56 करोड़ एवं राज्य द्वारा अवमुक्त ₹30.39 करोड़ की धनराशि का उपभोग नहीं किया गया था और राज्य स्तर पर अवरुद्ध बनी रही।

**प्रस्तर 2.7.3**

● नगर पालिका परिषद इटावा, नगर पालिका परिषद कन्नौज, नगर पालिका परिषद मैनपुरी एवं नगर निगम कानपुर में अपशिष्ट निस्तारण संयंत्र के संचालन हेतु कन्सेस्नायर अथवा संचालकों द्वारा निष्पादन जमानत एवं अतिरिक्त निष्पादन जमानत की धनराशि ₹ 9.12 करोड़ जमा नहीं की गयी थी।

**प्रस्तर 2.7.4**

● नगर निगम लखनऊ में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण परियोजना हेतु अनुपयुक्त स्थल चयन के फलस्वरूप समय एवं लागत में धनराशि ₹ 9.91 करोड़ की वृद्धि हुई।

**प्रस्तर 2.7.5**

● मात्र पांच शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद कन्नौज, नगर पालिका परिषद इटावा, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर) द्वारा आंशिक रूप से घर-घर अपशिष्ट संग्रहण लागू किया गया था।

**प्रस्तर 2.8.1.2**

● नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकायों में स्रोत पर कूड़े का पृथक्कीकरण जैसा कि आवश्यक था, नहीं किया जा रहा था।

**प्रस्तर 2.8.2.1**

● नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कूड़े के प्रभावी परिवहन हेतु वाहनों की आवश्यक संख्या के सम्बंध में कोई आकलन नहीं किया गया था। यहाँ तक कि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में, नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर के अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों द्वारा किया जा रहा था।

**प्रस्तर 2.8.4**

● नगर पालिका परिषद सम्भल और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में कार्यदायी संस्था को क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ और ₹ 6.46 करोड़ के भुगतान के पश्चात् भी प्रसंस्करण संयंत्र आरम्भ नहीं किया गया था।

**प्रस्तर 2.8.5.2**

● नगर निगम कानपुर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण फरवरी 2014 से बंद था जबकि नगर निगम लखनऊ और नगर पालिका परिषद इटावा में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र पूर्ण क्षमता से नहीं चलाया जा सका था। नगर पालिका परिषद कन्नौज में संयंत्र की क्षमता अपर्याप्त पायी गयी थी।

**प्रस्तर 2.8.5.3, 2.8.5.4 एवं 2.8.5.5**

● नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर ने परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पूर्व कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 18.10 करोड़ और ₹ 19.87 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

**प्रस्तर 2.8.6.1**

● नगर निगम लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल परिवर्तन के कारण टिपिंग शुल्क में 285 प्रतिशत की वृद्धि की गयी जो कि समुत्पन्न परिस्थितियों के समानुपातिक नहीं थी और इसलिए अनियमित थी।

**प्रस्तर 2.8.6.2**

- परियोजना में उपभोग के उद्देश्य से उपकरणों एवं वाहनों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

**प्रस्तर 2.8.6.3**

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2011-15 की अवधि में वांछित वार्षिक रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित नहीं की गयी थी।

**प्रस्तर 2.9.2**

- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति नहीं की गयी थी जिसके कारण संयंत्र की संचालन प्रक्रियाओं का आवश्यक अनुश्रवण, नहीं किया गया था।

**प्रस्तर 2.9.4**

## 2.1 परिचय

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम् एस डब्लू) में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के अतिरिक्त, किन्तु परिष्कृत जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस अथवा अर्ध ठोस रूप में आवासीय एवं व्यावसायिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वो सभी संक्रियाएं सम्मिलित हैं जो ठोस अपशिष्ट के स्वास्थ्य, पर्यावरण, एवं सौंदर्यात्मक प्रभाव को तलाश कर न्यूनतम कर सकें। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य हानि को रोकने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियमावली 2000 (एमएसडब्लू रूल्स 2000) बनाई गयी जिससे कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित किया जा सके। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए प्रत्येक नगरीय प्राधिकारी उत्तरदायी है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संग्रहण, परिवहन, पुनः उपयोग योग्य पदार्थों की पुनः प्राप्ति तथा अपशिष्ट का निस्तारण सम्बन्धी संक्रियाओं का पर्यवेक्षण व निस्तारण स्थल की पश्च देखभाल आता है। नियमावली यह भी कहती है की अपशिष्ट से अधिकतम व्यावहारिक लाभ लिए जाने को प्राथमिकता, अपशिष्ट रोकथाम एवं अपशिष्ट अल्पीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

## 2.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर सचिव, नगर विकास विभाग नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों को लागू करने व क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी है। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अनुदानों के अवमुक्ति, शहरी स्थानीय निकायों के बजट का परीक्षण, समीक्षा बैठकों सम्बन्धी डाटा का संकलन आदि के लिए राज्य सरकार की सहायता की जानी थी। इसके अतिरिक्त सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी पर नगर निगम के लिये नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों के लिए अधिशाषी अधिकारी की सहायता से क्षेत्रीय सीमा में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् प्राधिकार जारी करने एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय इकाई में स्थानीय निकाय के प्रबंधन एवं नीति निर्णय के लिए विभिन्न निर्वाचित सदस्यों द्वारा मेयर/चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया गया।

संगठनात्मक ढांचा एवं निधि प्रवाह इस प्रतिवेदन के अध्याय एक के प्रस्तर 1.2 में दिया गया है।

### 2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि;

- सभी नगरीय क्षेत्रों से कूड़े के सुव्यवस्थित व नियमित संग्रहण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक योजना बनाई गयी थी तथा समयोचित तरीके से कूड़े के सुरक्षित व समुचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धन आवंटन को पर्याप्त प्राथमिकता दी गयी थी तथा उपलब्ध धनराशि का मितव्ययी, दक्ष व प्रभावी तरीके से उपभोग किया गया था;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, भण्डारण एवं परिवहन, पृथक्करण, प्रसंस्करण व वैज्ञानिक निस्तारण किये जाने के लिये पर्याप्त आधारभूत संरचना सृजित एवं प्रभावी ढंग से परिचालित थी;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में प्रदूषण मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा था; और
- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुपालन हेतु प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रियाएं लागू की गयी थीं।

### 2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे:

- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986;
- नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन तथा सम्बंधित स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र;
- वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट अभिलेख;
- भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी सेवा-स्तर मानदण्ड की हस्तपुस्तिका;
- वित्तीय नियमों के प्रावधान;

- विभाग द्वारा प्रतिवेदित एवं अनुरक्षित विभिन्न प्रतिवेदन तथा विवरणी; एवं
- नगर निगम अधिनियम 1959 व नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916।

## 2.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र तथा क्रियाविधि

उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 636 शहरी स्थानीय निकाय हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग विथआउट रिप्लेसमेन्ट विधि से कुल 10 जनपदों की 36 शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया था। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में मार्च से जुलाई 2016 की अवधि में चयनित नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के नगर आयुक्त व अधिशाषी अधिकारियों व प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालकों (रियायत ग्राही) के कार्यालयों के मूल अभिलेखों, पंजिकाओं व पत्रावलियों की जाँच, सूचनाओं का संग्रह, लेखापरीक्षा पूछ-ताछ, इकाई के उत्तरों का संकलन एवं कर्मचारियों से पारस्परिक विचार-विमर्श आदि सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त चयनित प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में कूड़ा-भरण स्थलों, प्रसंस्करण संयंत्रों व भराव स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था। सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई के सम्बन्ध में प्रत्येक चयनित शहरी स्थानीय निकाय में लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था।

नियोजन, बजट निरूपण, अनुदानों की अवमुक्ति, संस्वीकृतियां तथा नगरीय टोस अपशिष्ट नियम 2000 लागू किए जाने सम्बन्धी सूचनाओं आदि को निदेशक, स्थानीय निकाय और सचिव, नगर विकास विभाग से एकत्रित किया गया था।

सचिव, नगर विकास विभाग के साथ मार्च 2016 में प्रारंभिक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र तथा कार्य विधि की व्याख्या की गयी थी। क्षेत्र लेखापरीक्षा समापन के बाद प्रारूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के साथ समापन बैठक (फरवरी 2017) में परिचर्चा की गई जहाँ प्रारूप के तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया। यद्यपि समापन बैठक में दिए गए आश्वासन के पश्चात् भी निष्पादन लेखापरीक्षा के बिन्दुवार उत्तर प्रतिवेदन के अन्तिमीकरण होने तक प्राप्त नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा विभाग निष्पादन लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में नगर विकास विभाग, शहरी स्थानीय निकाय एवं उनके कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार ज्ञापित करता है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.6 नियोजन

टोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए और उसे सतत् आगे ले जाने के लिए एक सुपरिभाषित नीति की आवश्यकता होती है। नीति में अन्य बातों के साथ साथ अपशिष्ट का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग व अपक्षय हेतु रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि अपशिष्ट के अंतिम निस्तारण के लिए अपशिष्ट की मात्रा कम से कम हो और अंततः निस्तारण लागत कम से कम आए।

### 2.6.1 नगर योजना का तैयार किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अध्याय 26 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक निश्चित समय सीमा में गतिविधियों को शामिल करते हुए एक लिखित अभिलेख "नगर योजना" के रूप में तैयार की जानी चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, अंतरण व परिवहन, प्रसंस्करण, पुनः प्राप्ति एवं ठोस अपशिष्ट का निस्तारण सम्बन्धी गतिविधियाँ शामिल हैं जो कि मितव्ययिता के सिद्धान्त, सौन्दर्यबोध, उर्जा एवं संरक्षण को ग्रहण करते हुए सतत पर्यावरणीय रूप से लम्बे समय तक चल सकने वाला हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जाँच किये गये दस जनपदों के शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम लखनऊ व कानपुर एवं नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के अतिरिक्त किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने नगर योजना तैयार नहीं की थी। परिणामस्वरूप, कोई भी शहरी स्थानीय निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम ठीक से लागू नहीं कर पाया जिनका वर्णन आगे के प्रस्तरो में किया गया है।


### 2.6.2 अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की क्रियाशीलता की स्थिति

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राधिकारी को उनके प्राधिकार क्षेत्र में उत्सर्जित अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु सुविधाओं की स्थापना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार लेने के उपरान्त नियत तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2003 अथवा उसके पूर्व किया जाना चाहिए था।

निदेशालय स्थानीय निकाय के लेखा अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया की माह मार्च 2016 तक राज्य में कुल 636 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 32 में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत थी। इसके अतिरिक्त नियमावली के अनुरूप कोई भी परियोजना नियत तिथि तक स्थापित नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के राज्य में लागू होने के 16 साल बाद भी सभी शहरी स्थानीय निकायों को 604 शहरी स्थानीय निकायों (95 प्रतिशत), में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित नहीं की जा सकी थी। यहाँ तक कि 32 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र नौ परियोजनाएं (राज्य की कुल शहरी स्थानीय निकाय का 1.4 प्रतिशत) ही मार्च 2016 तक क्रियाशील हो पाई थीं (**परिशिष्ट 2.2**)।

नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र सात शहरी स्थानीय निकायों में ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा स्वीकृत थी। जबकि मार्च 2016 तक कुल नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन में ही परियोजनाएं क्रियाशील की जा सकी थी।

राज्य की सभी 32 परियोजनाओं के साथ ही साथ नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में परियोजनाओं की स्थिति **चार्ट 1 व 2** में सारांशिकृत है:



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

### 2.6.3 बिना प्राधिकार के सुविधाओं का संचालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुपालन हेतु म्युनिसिपल प्राधिकारी अथवा सुविधादाता संचालक (कन्सेस्नायर) को अपशिष्ट प्रसंस्करण व भूमि भराव सहित निस्तारण सुविधा की स्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन करना था। तथापि अभिलेखों की जाँच में पाया गया की राज्य में स्वीकृत 32 परियोजनाओं में से 2011-16 की अवधि में मात्र पाँच शहरी स्थानीय निकायों ने ही प्राधिकार प्राप्त किये थे जैसा की सारणी 1 में वर्णित है।

**सारणी 1: 2011-16 की अवधि में प्राधिकार प्राप्ति की स्थिति**

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष जिसमें प्राधिकार प्राप्त किया गया				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	नगर पालिका परिषद रायबरेली	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त नहीं
2	नगर निगम बरेली	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
3	नगर पालिका परिषद बाराबंकी	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं
4	नगर निगम लखनऊ	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
5	नगर निगम इलाहाबाद	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त
योग		एक ने प्राप्त किया	तीन ने प्राप्त किया	तीन ने प्राप्त किया	तीन ने प्राप्त किया	दो ने प्राप्त किया

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

सारणी 1 से स्पष्ट है कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय अथवा प्रचालक द्वारा नियमित प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था। अग्रेतर पाया गया की नगर निगम लखनऊ के प्रचालक को प्रदत्त प्राधिकार मात्र दिसम्बर 2015 तक ही वैध था जिसका अभी (जुलाई 2016) तक नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

### 2.6.4 अपशिष्ट का अप्रमाणिक आकलन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के सही नियोजन व सफल क्रियान्वयन हेतु उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा एवं लक्षण का समुचित आकलन आवश्यक है। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में उत्सर्जित अपशिष्ट के सही आकलन एवं वार्षिक आख्या में प्रतिवेदित करने हेतु निस्तारण स्थल पर तौलने की सुविधा होनी चाहिए। जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नमूना

जाँच हेतु चयनित 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन नगर पालिका परिषद<sup>1</sup> व दो चयनित नगर निगम<sup>2</sup> में ही अपशिष्ट को तौलने की सुविधा उपलब्ध थी।

### 2.6.5 मानव-शक्ति प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संगत प्रबंधन के लिए पर्याप्त मानवशक्ति का नियोजन किया जाना चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षण स्टाफ के रूप में सफाई निरीक्षकों को भी नियोजित किया जाना था। जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में जांच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई निरीक्षकों के 144 स्वीकृत पद के सापेक्ष 39 से 41 संख्या में सफाई निरीक्षकों की कमी थी।

इस प्रकार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पर्यवेक्षण स्टाफ की तैनाती के उचित नियोजन में विफलता के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संचालन प्रभावित हुआ।

**अनुशंसा :** राज्य सरकार को राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का अनुश्रवण करने के लिए योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

### 2.7 वित्तीय प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग व अन्य योजना निधि/निजी निधियों का उपयोग किया गया था। वर्ष 2011-16 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य की शहरी स्थानीय निकायों व नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गए व्यय की स्थिति सारणी 2 में दी गई है।

**सारणी 2:** राज्य की शहरी स्थानीय निकायों व नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किये गए व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य में व्यय			चयनित शहरी स्थानीय निकायों में व्यय		
	योग	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय का प्रतिशत	योग	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय का प्रतिशत
2011-12	3,050.74	167.86	5.50	1,623.98	65.61	4.04
2012-13	2,874.32	203.09	7.07	1,559.38	66.06	4.24
2013-14	3,853.77	244.26	6.34	1,841.10	94.16	5.11
2014-15	5,324.68	344.68	6.47	2,200.30	104.58	4.75
2015-16	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,420.65	144.66	5.98
<b>योग</b>	<b>15,103.51</b>	<b>959.89</b>		<b>9,645.41</b>	<b>475.07</b>	

(स्रोत: विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन "कार्यविवरण" में प्रकाशित सूचना और चयनित शहरी स्थानीय निकाय)

**सारणी 2** से स्पष्ट है की नगरीय ठोस अपशिष्ट कार्यों के प्रबंधन के लिए राज्य की शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वांछित प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि कुल व्यय के सापेक्ष मात्र 5.5 व 7.07 प्रतिशत के मध्य ही नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर व्यय किया गया था। नमूना जाँच की गई 36 शहरी स्थानीय निकायों में भी कुल व्यय के सापेक्ष बहुत कम व्यय प्रतिशत 4.04 से 5.98 के बीच रहा जो कि प्रदर्शित करता है कि

<sup>1</sup> इटावा, कन्नौज और मैनपुरी।

<sup>2</sup> कानपुर और लखनऊ।



नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वांछित महत्व नहीं दिया गया जबकि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक था और इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता थी।

### 2.7.1 योजनाओं के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की स्वीकृतियां

भारत सरकार द्वारा कुल 29 परियोजनाएं व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन परियोजनाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत थीं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 29 परियोजनाओं में से ₹ 419.61 करोड़ की 27 परियोजनाएं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना के अंतर्गत तथा ₹ 27.38 करोड़ की दो परियोजनाएं<sup>3</sup> एयर फील्ड टाउन योजना के अंतर्गत थीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन परियोजनाओं<sup>4</sup> हेतु ₹ 58.31 करोड़ की निधियां स्वीकृत की गयी थीं। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत, अवमुक्त धनराशि और उसके सापेक्ष व्यय का विवरण सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3: मार्च 2016 में राज्य में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि		
					धनराशि	प्रतिशतता	
भारत सरकार	युआईडीएस एसएमटी <sup>5</sup>	19 <sup>6</sup>	169.03	138.46	99.71	69.33	41.02
	युआई एण्ड जी <sup>7</sup>	07 <sup>8</sup>	241.60	227.44	202.77	38.82	16.07
	सेटेलाईट टाउन स्कीम	01 <sup>9</sup>	8.98	4.49	4.44	4.54	50.56
	एयर फील्ड टाउन स्कीम	02	27.38	26.62	20.47	6.91	25.24
उत्तर प्रदेश सरकार	स्टेट सेक्टर स्कीम	03	58.31	13.80	0.00	58.31	100
योग		32	505.30	410.81	327.39	177.91	35.21

(स्रोत: विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन "कार्य विवरण" में प्रकाशित सूचना)

उपरोक्त सारणी 3 से स्पष्ट है कि राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत का 35 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ी रही क्योंकि 19 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण व निस्तारण सुविधाओं का स्थापना कार्य विविध कारणों जैसे ठेकेदार और उप-ठेकेदार के मध्य विवाद, भूमि विवाद, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता आदि से बाधित रहा।

### 2.7.2 अपूर्ण व परित्यक्त परियोजनाओं पर अलाभकारी व्यय

निदेशक स्थानीय निकाय के लेखाभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया की कार्यदायी संस्था (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेस, उत्तर प्रदेश जल निगम) ने 15 परियोजनाओं

<sup>3</sup> नगर निगम, बरेली और नगर निगम, गाजियाबाद।

<sup>4</sup> नगर पालिका परिषद, भदोही, नजीबाबाद और रामपुर।

<sup>5</sup> लघु एवं मध्यम कस्बों के आधारभूत संरचनात्मक विकास की शहरी योजना।

<sup>6</sup> अलीगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, लोनी, मैनपुरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और सम्भल।

<sup>7</sup> शहरी आधारभूत संरचना और संचालन।

<sup>8</sup> आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी।

<sup>9</sup> पिलखुआ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

(परिशिष्ट 2.3) के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सयंत्र की स्थापना व आगामी 30 वर्षों तक सयंत्र के संचालन का कार्य एक फर्म मेसर्स ए टू जेड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (कन्सेस्नायर) को सौंपा था। कन्सेस्नायर ने जहाँ भूमि उपलब्ध थी, 11 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया (सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2010) किंतु मात्र दो परियोजनाएं (मुजफ्फरनगर व मेरठ) ही पूर्ण की जा सकी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण कन्सेस्नायर ने कार्य अचानक बंद कर दिया और परियोजनाओं को अन्य फर्म को उप-ठेका करने का अनुरोध किया (जुलाई 2013)। कार्यदायी संस्था से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् कन्सेस्नायर ने नौ परियोजनाओं<sup>10</sup> को जुलाई 2013 में मेसर्स एकोर्ड हाइड्रोएअर प्राइवेट लिमिटेड (उप-निविदा फर्म) को सौंप दिया। कन्सेस्नायर व उप-निविदा फर्म दिसम्बर 2013 तक मात्र तीन<sup>11</sup> परियोजनाओं को ही पूर्ण कर सकी थी। शेष छः परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका और अभी तक अपूर्ण रहा। अग्रेतर पाया गया कि चार<sup>12</sup> पूर्ण परियोजनाएं एक से तीन साल तक ही संचालित रहीं जब कन्सेस्नायर ने शहरी स्थानीय निकाय से टिपिंग शुल्क के विवाद के कारण इनका संचालन रोक दिया।

इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर कन्सेस्नायर फर्म का चयन किये जाने के कारण दस शहरी स्थानीय निकाय में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं असफल हो गयीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 156.22 करोड़ व्यय धनराशि निरर्थक/अलाभकारी रही (परिशिष्ट 2.3)।

### 2.7.3 स्वच्छ भारत मिशन की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना

स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन, अनुदान के रूप में अनुमन्य हैं। राज्य सरकार को अपना राज्यांश शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रांश के अवमुक्त होने के 30 दिनों के भीतर देना था। भारत सरकार के शहरी विकास विभाग ने मार्च 2015 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट परियोजना के लिए ₹ 37.56 करोड़ की पहली किश्त जारी की। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 महीनों (सितम्बर 2016) तक किसी परियोजना की स्वीकृति नहीं दी। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 116.49 करोड़ की कार्य योजना की स्वीकृति दी एवं निदेशालय, स्थानीय निकाय को धनराशि ₹ 50.70 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 20.39 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 30.39 करोड़) अवमुक्त किये (अक्टूबर 2016) परन्तु निदेशक द्वारा उक्त धनराशि जनवरी 2017 तक शहरी स्थानीय निकायों को नहीं दी गई। इस प्रकार भारत सरकार (₹ 37.56 करोड़) और राज्य सरकार (₹ 30.39 करोड़) से अवमुक्त धनराशि राज्य स्तर पर (22 माह)/निदेशालय स्तर पर (चार माह) अवरुद्ध रही।

### 2.7.4 निष्पादन जमानत/अतिरिक्त निष्पादन जमानत प्राप्त किया जाना

कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार कन्सेस्नायर द्वारा अनुबन्ध में सहमत दर/धनराशि के अनुसार कन्सेशन अवधि तक के लिए निष्पादन जमानत के रूप में बैंक गारंटी जमा किया जाना था। नमूना जाँच किए गए जनपदों में परियोजना के सापेक्ष कन्सेस्नायर द्वारा जमा की गयी निष्पादन जमानत की स्थिति का सार सारणी 4 में निम्नवत है:

<sup>10</sup> न0नि0 अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी; न0पा0प0 बदायूं, बलिया, फतेहपुर, मिर्जापुर और सम्भल।

<sup>11</sup> फतेहपुर, कानपुर और मुरादाबाद।

<sup>12</sup> फतेहपुर, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद।

**सारणी 4: निष्पादन जमानत की स्थिति**

परियोजना का नाम	कन्सेसनेयर का नाम	वसूली योग्य बैंक गारंटी की धनराशि (₹ लाख में)	निष्पादन जमानत की स्थिति
नगर निगम कानपुर	ए 2 जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	766.25	नगर निगम द्वारा निष्पादन जमानत नहीं ली गयी।
नगर पालिका परिषद इटावा	एकार्ड हाइड्रोएयर प्राइवेट लिमिटेड	19.70	नगर पालिका परिषद द्वारा निष्पादन जमानत नहीं ली गयी।
नगर पालिका परिषद मैनपुरी	एकार्ड हाइड्रोएयर प्राइवेट लिमिटेड	अनुपलब्ध	कन्सेशन अनुबन्ध की धाराओं एवं अनुसूचियों के विवरण की प्रति एवं निष्पादन जमानत/बैंक गारंटी का विवरण नगर पालिका परिषद के पास उपलब्ध नहीं।
नगर पालिका परिषद कन्नौज	एकार्ड हाइड्रोएयर प्राइवेट लिमिटेड	28.22	निष्पादन जमानत के रूप में जमा की गयी बैंक गारंटी को नवम्बर 2015 से नवीनीकृत नहीं कराया गया था।
<b>योग</b>		<b>814.17</b>	

(स्रोत: नमूना जाँच किए गए स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सूचनायें)

उपरोक्त **सारणी 4** से स्पष्ट है कि दो नगरीय निकायें (नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद इटावा) निष्पादन जमानत प्राप्त करने में असफल रहीं जबकि नगर पालिका परिषद मैनपुरी के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

नगर पालिका परिषद-कन्नौज में कन्सेसनायर ने निष्पादन जमानत के रूप में चार्टर्ड मरकैन्टाइल एम0 बी0 लि0 लखनऊ द्वारा निर्गत ₹ 28.22 लाख की बैंक गारण्टी नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत की (नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद द्वारा न तो बैंक गारण्टी को बैंक से सत्यापित किया गया और न ही निर्गतकर्ता बैंक की स्थिति का सत्यापन कराया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा बाद में अवगत कराया गया कि यह बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत नहीं था। इस प्रकार, बैंक गारण्टी जाली साबित हुयी परन्तु नगर पालिका परिषद द्वारा कन्सेसनायर के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही उसे काली सूची में डाला गया। निष्पादन जमानत के रूप में जमा की गयी बैंक गारण्टी को नवम्बर 2015 से नवीनीकृत भी नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार, नियुक्ति तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने पर कन्सेसनायर द्वारा बैंक गारण्टी के माध्यम से अनुबन्ध में प्राविधानित धनराशि की एक अतिरिक्त निष्पादन जमानत भी जमा करायी जानी थी। उपरोक्त चार नगरीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि उनमें से तीन<sup>13</sup> के द्वारा धनराशि ₹ 97.99 लाख की अतिरिक्त निष्पादन जमानत प्राप्त नहीं की गयी थी। नगर पालिका परिषद मैनपुरी में अतिरिक्त निष्पादन जमानत/बैंक गारण्टी के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

**2.7.5 गलत स्थल चयन के कारण ₹ 9.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय**

नगर निगम लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा के विकास के लिए भारत सरकार ने (मार्च 2007) में ₹ 42.92 करोड़ स्वीकृत किये थे। इस

<sup>13</sup> नगर पालिका परिषद इटावा, कन्नौज और नगर निगम कानपुर ने अतिरिक्त निष्पादन जमानत क्रमशः ₹15.00 लाख, ₹15.00 लाख और ₹67.99 लाख नहीं जमा किया।

उद्देश्य के लिए प्रारम्भ में स्थल का चयन वर्ष 2010 में ग्राम दशहरी किया गया था जिसे बाद में फलपट्टी<sup>14</sup> क्षेत्र घोषित किया गया और इस कारण से उसमें निर्माण कार्य प्रतिबन्धित था। बाद में ग्राम शिवरी एवं पल्लेन्दा सड़क पर नया स्थल चिन्हित कर कन्सेस्नायर को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि में हस्तगत कराया गया। इस प्रकार समय की वृद्धि के कारण लागत में ₹ 9.91 करोड़ की वृद्धि हुई जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से किया गया (अगस्त 2014)। इस प्रकार गलत स्थल चयन के कारण ₹ 9.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

## 2.8. क्रियान्वयन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक म्युनिसिपल प्राधिकारी अपने क्षेत्र में कूड़े के संग्रहण, पृथक्कीकरण, भण्डारण, परिवहन, पुनर्चक्रीकरण एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी थे। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय झाड़ू लगवाने, गलियों की सफाई, कूड़ा-करकट को हटवाने, कूड़ादान लगवाने और गंदगी को हटवाने के लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था हेतु उत्तरदायी थे।

### 2.8.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

#### 2.8.1.1 अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के प्रावधानों में नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत उत्सर्जित अपशिष्ट संग्रहण की प्रक्रिया जैसे घर-घर से व्यवस्थित रूप में एकत्र करना, होटल, भोजनालयों, कार्यालय भवनों, व्यवसायिक क्षेत्र सहित अनाधिकृत क्षेत्रों में बसने वाले स्लमों आदि की व्याख्या की गयी है। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम लखनऊ को छोड़कर, किसी भी स्थानीय निकाय, में कूड़ा संग्रहण अभिलेखों, जैसे नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में लगे हुए वाहनों की लाग-बुकों का रख-रखाव, संग्रहण स्थलों की सूची, संग्रहण की समय सारणी आदि, का रख-रखाव नहीं किया गया था। अग्रेतर, नगर निगम लखनऊ के 110 वार्ड में से 55 वार्ड से सम्बन्धित अभिलेख, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण ऑपरेटर फर्म द्वारा किया जा रहा था, उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शहरी स्थानीय निकायों में निर्दिष्ट प्रणाली नियमित रूप से कूड़ा संग्रहण हेतु क्रियान्वित थी।

#### 2.8.1.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 36 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 31 शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर से कूड़े का संग्रहण नहीं किया जा रहा था शेष पाँच शहरी स्थानीय निकायों<sup>15</sup> में नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर से संग्रहण की आंशिक प्रणाली थी।

घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रणाली कार्यान्वयन में विफलता के फलस्वरूप खुले स्थानों पर सड़कों के किनारे कूड़ों का ढेर लगा था और प्राथमिक संग्रहण स्थलों पर खुले कूड़ेदानों में कूड़ा ऊपर तक चढ़ा हुआ था।

<sup>14</sup> फलपट्टी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ का सूक्ष्म वातावरण फलों के उत्पादन के लिए अच्छी दशा प्रदान करता है।

<sup>15</sup> नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद इटावा, नगर पालिका परिषद कन्नौज एवं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर।

### 2.8.1.3 उपभोग शुल्क की वसूली/पुनः प्राप्ति न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जून 2014) के अनुसार सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित दरों पर प्रारम्भ द्वारा प्रथम तीन वर्ष तक प्रयोक्ता शुल्क की वसूली उपभोक्ताओं से की जानी थी। इस प्रकार वसूल किये गये प्रयोक्ता शुल्क से घर-घर कूड़ा संग्रहण एवं उसे प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन करने के लिए निजी प्रचालकों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था।

तथापि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के विपरीत नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा घर-घर कूड़ा संग्रहण हेतु उपभोगताओं से प्रयोक्ता शुल्क वसूल किये बिना ही प्रचालक को टिपिंग शुल्क ₹ 1.24 करोड़ (अवधि अगस्त 2014 से जनवरी 2016 तक) का भुगतान राज्य वित्त/निजी स्रोत से किया गया।

अग्रेतर, 36 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, नगर निगम लखनऊ एवं नगर निगम कानपुर को छोड़कर, प्रयोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी। नगर निगम लखनऊ ने 55 वार्डों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण मई 2010 में प्रारम्भ किया। किन्तु नगर निगम द्वारा उपभोग शुल्क की वसूली जाने वाली दरों की अधिसूचना सितम्बर 2013 में जारी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के विरुद्ध नगर निगम लखनऊ द्वारा गृह स्वामियों को कोई बिल निर्गत नहीं किया गया था, परन्तु बिल का निर्गमन निजी प्रचालक द्वारा किया जा रहा था। यह भी संज्ञान में आया कि नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों (वार्डों का विवरण, घरों की संख्या, गृह स्वामियों को निर्गत किये गये बिलों, प्रयोक्ता शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि, वसूल की गई उपभोग शुल्क की धनराशि) का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में प्रयोक्ता शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि, वसूल की गई प्रयोक्ता शुल्क की धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### 2.8.1.4 वाणिज्यिक संस्थानों एवं कार्यालयों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण न किया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को मलिन बस्तियों एवं अवैध क्षेत्रों अथवा होटल, रेस्टोरेण्ट, कार्यालय परिसर एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की योजना बनानी चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 36 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से केवल आठ शहरी स्थानीय निकायों<sup>16</sup> द्वारा इन क्षेत्रों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का नियमित संग्रहण किया जा रहा था। किन्तु इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी शेष 28 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन क्षेत्रों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण केवल सड़कों पर झाड़ू लगाकर किया जा रहा था।

### 2.8.1.5 जैविक क्षरणशील अपशिष्टों का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के अनुसार पशु वधशाला, मांस एवं मछली, फल एवं सब्जी बाजार से निकलने वाले ठोस अपशिष्टों को, जो स्वभाव से जैविक क्षरणशील होते हैं, पुनः उपयोग होने के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जांच में

<sup>16</sup> नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बिल्हौर, इटावा, जसवन्तनगर, सुल्तानपुर, नगर पंचायत बकेवर, बिटूर, शिवराजपुर।

पाया गया कि नगर निगम लखनऊ को छोड़कर, 35 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा फल एवं सब्जी बाजार से निकलने वाले जैविक क्षरणशील अपशिष्टों के संग्रहण की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

### 2.8.1.6 ठोस अपशिष्टों का जलाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के अनुसार सूखी पत्तियों एवं अन्य कचरों को जलाना नहीं चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को पेड़ की पत्तियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा एकत्रित किये गये अन्य सूखे कचरों को जलाने से रोका जाना चाहिए एवं सफाई कर्मियों को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि समस्त अपशिष्टों को केवल सामुदायिक अपशिष्ट संग्रहण डिब्बों अथवा कूड़ा संग्रहण स्थल में ले जायें।

हालांकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्टों को 18 शहरी स्थानीय निकायों<sup>17</sup> में विभिन्न स्थानों पर खुले में जलाया जा रहा था जबकि नगर पालिका परिषद कन्नौज एवं नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर में जलाया जा रहा था जिसकी अनुमति नहीं थी।

	
<p>नगर पालिका परिषद कन्नौज के प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर में जलता हुआ नगरीय ठोस अपशिष्ट</p>	<p>नगर पालिका परिषद सम्मल में चिकित्सालय के बाहर कूड़ेदान में जलता हुआ नगरीय ठोस अपशिष्ट</p>

नगरीय ठोस अपशिष्टों का जलना न केवल नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों का उल्लंघन है बल्कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक है।

### 2.8.1.7 अपर्याप्त सामुदायिक कूड़ेदान का प्रावधान

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय स्थिति के आधार पर सड़क की लम्बाई के 25 मीटर से 250 मीटर की तर्कसंगत दूरी पर सामुदायिक कूड़ा डिब्बों को प्रदान किया जाना चाहिए था। नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यक सामुदायिक कूड़ादानों एवं स्थापित कूड़ादानों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है:

<sup>17</sup> नगर पालिका परिषद चन्दौसी, छिबरामऊ, देवरिया, इटावा, गौरा बरहज, जसवन्तनगर, कन्नौज, मिर्जापुर, पडरौना, सम्मल, नगर पंचायत बकेवर, भारतपार रानी, भोगाँव, हाटा, कारखाना, लखना, रामपुर, रामकोला एवं समधन।

## सारणी: 5 सामुदायिक कूड़ादानों का विवरण

(संख्या में)

वर्ष	36 नगरीय स्थानीय निकायों की कुल सड़कों की लम्बाई (मीटर में)	आवश्यक सामुदायिक कूड़ेदानों की संख्या <sup>18</sup>	प्रदान किये गये कूड़ेदान	कमी	कमी का प्रतिशत
2011-12	83,88,309	33,553	4,041	29,512	87.95
2012-13	84,36,784	33,747	4,190	29,557	87.58
2013-14	84,96,413	33,985	1,865	32,120	94.51
2014-15	85,57,199	34,228	2,970	31,259	91.32
2015-16	86,09,571	34,438	3,344	31,094	90.29
<b>योग</b>	<b>4,24,88,276</b>	<b>1,69,951</b>	<b>16,410</b>	<b>1,53,542</b>	<b>90.35</b>

(स्रोत: सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि समस्त नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2011-16 तक सामुदायिक कूड़ेदान की कमी 88 से 95 प्रतिशत थी। इसके परिणामस्वरूप कूड़ा सड़कों के किनारे और नगरीय नालियों में फेंके जा रहे थे जो जल बहाव को रोक रहा था:



### 2.8.1.8 गलियों/सड़कों में झाड़ू लगाया जाना

शहरी स्थानीय निकायों के लिए नियमों की बाध्यता है कि लोक मार्ग/गलियों/अन्य सार्वजनिक स्थलों की प्रतिदिन सफाई एवं झाड़ू लगाना तथा घर-घर से कूड़ा संग्रहण एवं सड़कों से झाड़ू लगाकर एकत्रित कूड़ों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रयोजन के लिए टोस अपशिष्ट प्रबन्धन मैनुअल के अनुसार निर्धारित मानदण्ड के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों एवं गलियों की उनकी लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ सूची तैयार की जानी चाहिए तथा उनकी प्रतिदिन की सफाई के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों की सफाई हेतु प्रतिदिन अथवा नियतकालिक समय-सारणी इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वे स्थल कूड़ा एकत्रण स्थल न बनने पायें और साफ रहें।

<sup>18</sup> उच्च विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 250 मीटर पर एक कूड़ादान।

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12 शहरी स्थानीय निकायों (33 प्रतिशत) द्वारा सार्वजनिक स्थलों की ऐसी सूची नहीं बनाई गई थी। अग्रेत्तर 11 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक स्थलों की सफाई एवं झाड़ू लगाने के लिए समय-सारणी नहीं बनाई गई थी। इस प्रकार लेखापरीक्षा में अभिलेखों के माध्यम से इस दिशा में प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

#### **अनुशंसा:**

- **सभी गृहस्वामियों, कार्यालयों, वाणिज्यिक परिसरों और घर-घर से कूड़ा संग्रहण एवं जैविक क्षरणशील अपशिष्टों का संग्रहण समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली/उगाही के लिए उचित नीति बनायी जानी चाहिए।**
- **प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु पर्याप्त संख्या में कूड़ादान प्रदान किया जाना चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्टों को जलाया जाना, कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।**

### **2.8.2 नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्कीकरण**

#### **2.8.2.1 सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना**

नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के प्रावधानों के अनुपालन कसौटियों यह प्रावधानित करती हैं कि म्युनिसिपल प्राधिकारियों को सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रम, गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय आवासीय कल्याणकारी संस्थाओं के साथ बैठक करके विभिन्न प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण हेतु और पृथक् किये गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को पुनः उपयोग में लाये जाने हेतु अथवा चक्रीय प्रक्रिया को प्रोन्नत करने हेतु नागरिकों एवं सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 36 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से केवल नौ<sup>19</sup> शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रैलियों, होर्डिंग्स, बैनर्स, पर्चों के माध्यम से स्थानीय जनता को प्रेरित करने हेतु जागरुकता अभियान चलाया गया था। फिर भी किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्रोत पर विभिन्न प्रकार के नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय आवासीय कल्याणकारी संस्थाओं के साथ बैठक नहीं की गयी। इस प्रकार, जनसामान्य में जागरुकता के अभाव के परिणामस्वरूप स्रोत पर नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। अभिलेखों की आगे जांच में पाया गया कि उन चार<sup>20</sup> नमूना जाँच की गई स्थानीय निकायों, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे थे, में भी नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार किसी भी नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में किसी भी प्रसंस्करण स्तर पर कूड़ों के अन्तिम निस्तारण के लिए परिवहन से पूर्व विभिन्न प्रकार के नगरीय ठोस अपशिष्टों को पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। उदाहरण के लिए नगर पालिका परिषद चन्दौसी एवं नगर पंचायत नरौली

<sup>19</sup> नगर पालिका परिषद अहरौरा, इटावा, जसवन्तनगर, मिर्जापुर, पडरौना, सुल्तानपुर; नगर पंचायत: बकेवर, कछवों एवं लखना।

<sup>20</sup> नगर पालिका परिषद: इटावा, कन्नौज, मैनपुरी एवं नगर निगम कानपुर।



में जनसामान्य में जागरुकता के अभाव में कूड़ेदानों की स्थापना के पश्चात् भी उसका उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति का चित्रण नीचे के फोटोग्राफ में किया गया है:



नगर पंचायत नरौली में कूड़ादान जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

नगर पालिका परिषद चन्दौसी में कूड़ादान जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

### 2.8.2.2 नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ अन्य अपशिष्टों की मिलावट

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बागवानी एवं निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट तथा मलबों को पृथक-पृथक संग्रहित एवं उचित मानकों के अनुसार निस्तारित किया जाना चाहिए। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियमों का उल्लंघन कर ये अपशिष्ट पृथक-पृथक संग्रहीत नहीं किये जा रहे थे।



नगर निगम लखनऊ में निर्माण मलबा एवं अन्य नगरीय ठोस अपशिष्टों का खुले कचरे के स्थान पर मिला जुला मलबा

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों में यह भी प्राविधानित है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलाया जाना चाहिए और इस प्रकार के अपशिष्टों का निस्तारण पृथक से बताये गये नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। फिर भी, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा एवं संयुक्त स्थलीय भौतिक सत्यापन में पाया गया कि जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ मिलाया जा रहा था जो वातावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था।

**अनुशंसा:** विभिन्न प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण हेतु शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय आवासीय कल्याणकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ नियमित जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।

### 2.8.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार म्युनिसिपल प्राधिकारी द्वारा भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस तरीके से करना चाहिए, कि वे इसके चारों ओर गंदगी अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न करे। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि सभी नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के विरुद्ध खुले कूड़ेदान पाये गये थे। पुनः, नमूना जाँच में 36 शहरी स्थानीय निकायों में से 26<sup>21</sup> ने स्वीकार किया कि वे कूड़ेदानों की उचित और नियमित सफाई सुनिश्चित नहीं कर रहे थे।



मैनपुरी में कूड़ेदान के बाहर बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट से फैली गंदगी

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों में यह भी व्यवस्था है कि शहरों में नगरीय ठोस अपशिष्ट को बिखरने से रोकने के लिए, नगरीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संग्रहित और पृथक्कृत अपशिष्ट उचित रूप से इस प्रकार भंडारण हो, जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण को हानि न हो और कूड़ा भण्डारण स्थल के चारों ओर अवारा जानवरों की रोकथाम हेतु कदम उठायेगें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्यस्तरीय कूड़ा संग्रहण केन्द्र, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में छः<sup>22</sup> के अतिरिक्त, विकसित अथवा नियमित अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार ये 30 शहरी स्थानीय निकाय, नगरीय ठोस अपशिष्ट को अस्वास्थ्यकर डम्पयार्ड, सड़क के किनारे, निचली भूमि आदि में इकट्ठा कर रहे थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया था कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मध्य स्तरीय कूड़ा संग्रहण केन्द्रों का प्रभावी रूप से प्रबन्ध नहीं किया जा रहा था और कूड़े का नियमित उठान सुनिश्चित नहीं किया गया था जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।



नगर पालिका परिषद चंदौसी में एक मध्य स्तरीय संग्रहण केन्द्र के बाहर बिखरा कूड़ा



नगर निगम लखनऊ के अविकसित संग्रहण केन्द्र के बाहर बिखरा कूड़ा

<sup>21</sup> नगर निगम लखनऊ; नगर पालिका परिषद: अहरौरा, चन्दौसी, छिबरामऊ, देवरिया, गौरा बरहज, जसवंतनगर, कन्नौज, मैनपुरी, मिर्जापुर, पडरौना, सुल्तानपुर; नगर पंचायत: बबराला, बकेवर, बक्शी का तालाब, भाटपार रानी, भोगाँव, हाटा, कछवा, लखना, महोना, नरोली, रामकोला, रामपुर कारखाना, समधन, तालग्राम।

<sup>22</sup> नगर निगम लखनऊ; नगर पालिका परिषद: चन्दौसी, जसवंतनगर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर और नगर पंचायत: लखना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों में यह भी परिकल्पित है कि जैव क्षरणशील अपशिष्ट हरे रंग, पुनः चक्रण योग्य अपशिष्ट सफेद रंग और अन्य अपशिष्ट काले रंग के कूड़ेदान में संग्रहीत किये जायें। लेकिन यह पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के विपरीत किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कूड़ेदान क्रय में कलर कोडिंग प्रावधान का पालन नहीं किया गया था अथवा एक स्थान पर विभिन्न रंगों के कंटेनर नहीं रखा गया था ।

**अनुशंसा: राज्य सरकार को कूड़ा भण्डारण केन्द्र स्थापित करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, खुले को ढके भण्डारण में परिवर्तित किया जाना चाहिए।**

#### 2.8.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार अपशिष्टों के परिवहन के लिए बन्द वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अपशिष्ट, लोगों को न तो दिखाई देना चाहिए और बिखरने से बचाने के लिए इसे न ही वातावरण में खुला ही होना चाहिए। परिवहन वाहनों की संरचना ऐसी की जायेगी कि अपशिष्ट के अंतिम निपटान के पूर्व हथालन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नमूना जांच में नगर निगम लखनऊ एवं कानपुर को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन में खुले वाहनों का उपयोग किया जा रहा था।



अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रभावी परिवहन हेतु आवश्यक वाहनों का आकलन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा परिवहन वाहनों का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था।

यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों में विविध ठोस अपशिष्ट का एक साथ ही हथालन समान रूप से किया जा रहा था। यद्यपि नगर निगम कानपुर और नगर पालिका परिषद सम्भल ने बताया कि वहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग परिवहन सुनिश्चित किया जाता है लेकिन ये दोनों शहरी स्थानीय निकाय अपने तर्क के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रदान नहीं कर सके। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय, वाहनों से ठोस अपशिष्ट सड़क मे बिखरने तथा विस्तृत क्षेत्र में दुर्गंध फैलने से रोकने

में असफल रहे और विविध ठोस अपशिष्ट के एक साथ हथालन की पुनरावृत्ति को भी नहीं रोका जा सका।

**अनुशंसा: शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था ढके हुए वाहनों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करना चाहिए।**

### 2.8.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निस्तारण

नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि गड्डों में ठोस अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था पर बोझ कम करने के लिए नगरीय निकाय अपशिष्टों के उपयोग में लाने हेतु उपयुक्त तकनीक अथवा संयुक्त तकनीकों को अपनायेंगे। इस क्रम में जैव क्षरणशील अपशिष्ट का प्रसंस्करण खाद निर्माण, कृमि खाद निर्माण, वात रहित जीवाणु के अवशोषण अथवा अपशिष्ट के स्थायीकरण के लिए अन्य किसी उपयुक्त विधि के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद अथवा अन्य कोई अंतिम उत्पाद नियमों में वर्णित मानकों के अनुरूप होंगे।

#### 2.8.5.1 अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थिति

नमूना जाँच किये गए 36 शहरी स्थानीय निकायों में से वर्ष 2015-16 तक मात्र सात स्थलों पर ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं का कार्य स्वीकृत किया गया था। इन सात नगरीय ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति सारणी 6 में दी गयी है।

**सारणी 6: नमूना जाँच किए गए सात शहरी नगरीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति**

शहरी स्थानीय निकायों के नाम (परियोजना स्थल)	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्रारम्भ की तिथि	पूर्ण किए जाने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक लागत (₹ करोड़ में)	क्रियाशील होने की तिथि	वर्तमान स्थिति
न.पा.परि. मिर्जापुर	11.01	फरवरी 2011	31.03.2014 (संशोधित)	अपूर्ण	6.46	अपूर्ण	अक्रियाशील
न.पा.परि. सम्भल	6.55	01.04.2008	31.03.2009	अपूर्ण	3.22	अपूर्ण	अक्रियाशील
नगर निगम. कानपुर	56.24	07.08.2008	अप्रैल 2009	12.11.2011	56.02	11.05.2012	परित्यक्त
नगर निगम. लखनऊ	42.92	08.04.2011	07.12.2011	अपूर्ण	39.38	अपूर्ण	आंशिक रूप से क्रियाशील
न.पा.परि. इटावा	5.82	11.08.2010	30.06.2012	31.10.2012	5.42	08.02.2013	क्रियाशील
न.पा.परि. कन्नौज	4.62	01.01.2009	31.03.2011	30.04.2011	4.57	17.11.2011	क्रियाशील
न.पा.परि. मैनपुरी	4.28	10.06.2010	उपलब्ध नहीं	30.06.2012	3.74	29.12.2012	क्रियाशील

(स्रोत: सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

सारणी 6 से यह परिलक्षित होता है कि इन नगरीय निकायों में किसी भी परियोजना को नियत समय में पूर्ण नहीं किया जा सका। सभी सात परियोजनाओं की स्थिति की चर्चा इसके पश्चात् की गयी है।

### 2.8.5.2 निष्फल व्यय एवं निधि का अवरोधन

नगर पालिका परिषद, सम्भल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की अधिष्ठापना के लिए कन्सेस्नायर<sup>23</sup> और कार्यदायी संस्था के मध्य फरवरी 2012 में गठित अनुबंध के अनुसार कन्सेस्नायर को नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली मोटर वाहन, चलने योग्य सड़क उपलब्ध कराना था और सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना कन्सेस्नायर का दायित्व नहीं था। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद, सम्भल को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा परिसर तक उच्च वोल्टता वाली विद्युत लाइन उपलब्ध कराना था।

तथापि, संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, सम्पर्क मार्ग और नगरीय लाइन फीडर से उच्च वोल्टता वाली कनेक्शन उपलब्ध कराने में विफल रहा और इसलिए जून 2012 में कन्सेस्नायर ने नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा निर्माण कार्य को ₹ 3.22 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी अपूर्ण छोड़ दिया। नगर पालिका परिषद द्वारा उत्तर में बताया गया कि सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए प्रशासन/उत्तर प्रदेश सरकार से पत्राचार किया गया फिर भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सका।

नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर में, कन्सेस्नायर<sup>24</sup> द्वारा उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण संयंत्र अधिष्ठापन का कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया और निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सका और ₹ 6.46 करोड़ व्यय के उपरान्त भी आज तक कार्य अपूर्ण था। नगर पालिका परिषद द्वारा उत्तर में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि कन्सेस्नायर और उप-विनिदा फर्म के मध्य विवाद होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

अग्रेतर, सम्भल और मिर्जापुर के कार्य स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि कार्य स्थल पर सभी उपकरण और संयंत्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े थे और बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य भी मार्च 2016 तक अपूर्ण था।



नगर पालिका परिषद-सम्भल में अपूर्ण एव जीर्ण शीर्ण अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र

नगर पालिका परिषद-मिर्जापुर में अपूर्ण एव जीर्ण शीर्ण अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र

इस प्रकार, इन नगर निकायों द्वारा ₹ 9.68 करोड़<sup>25</sup> व्यय के उपरान्त भी नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र के अधिष्ठापन/संचालन का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

<sup>23</sup> मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (सम्भल) प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>24</sup> मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (मिर्जापुर) प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>25</sup> नगर पालिका परिषद सम्भल और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ और ₹ 6.46 करोड़।

इसके अतिरिक्त, ₹ 6.42 करोड़<sup>26</sup> नगर पालिका परिषदों द्वारा अवरूद्ध किया गया था और ₹ 1.46 करोड़<sup>27</sup> इन नगर निकायों के कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवरूद्ध किया गया था, क्योंकि निर्माण कार्य परित्यक्त था और सुविधायें मार्च 2016 तक भी अपूर्ण थीं।

### 2.8.5.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा का क्रियाशील न होना

नगर निगम—कानपुर में कार्यदायी संस्था द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करके मई 2012 में नगर निगम को हस्तगत करा दी गयी थी। लेखापरीक्षा की जाँच में यह पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्कीकरण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी कन्सेस्नायर<sup>28</sup> अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा था क्योंकि नगर निगम द्वारा कई नोटिसें (सितम्बर 2014 से मार्च 2015) जारी किये जाने के पश्चात् भी प्लांट पर प्रसंस्करण का कार्य फरवरी 2014 से बंद था। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की स्थिति वर्ष 2013-14 और 2014-15 में धीरे-धीरे खराब होती गयी (**परिशिष्ट 2.4**) जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती गयी। इसके अतिरिक्त, कन्सेस्नायर द्वारा बिना कोई कारण बताये काम अचानक छोड़ दिया गया (अप्रैल 2015)।

संयंत्र स्थल पर संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि अप्रसंस्कृत कचरे के विशाल ढेर, स्थल पर पड़े थे।



नगर निगम, लखनऊ में, अक्टूबर 2010 के कन्सेशन अनुबंध के अनुसार, नये चिन्हित स्थल पर भूमि को कन्सेस्नायर<sup>29</sup> को हस्तांतरित (अप्रैल 2011) करने के आठ महीने के अंदर (अर्थात् दिसम्बर 2011 तक) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा (संयंत्र) को पूर्ण किया जाना था। कन्सेस्नायर को संयंत्र और लखनऊ के चार विभिन्न केन्द्रों पर चार ट्रांसफर स्टेशन का अधिष्ठापन किया जाना था। लेकिन, मई 2016 तक भी कन्सेस्नायर द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की समस्त इकाइयों के सुचारु रूप से संचालन के लिए 1500 केवीए के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, जिसे कन्सेस्नायर द्वारा प्रबन्ध किया जाना था। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कन्सेस्नायर द्वारा मात्र 500 केवीए का कनेक्शन प्राप्त किया जा सका, क्योंकि कन्सेस्नायर द्वारा अतिरिक्त विद्युत

<sup>26</sup> नगर पालिका परिषद सम्मेलन और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा क्रमशः ₹ 2.40 करोड़ और ₹ 4.02 करोड़।

<sup>27</sup> नगर पालिका परिषद सम्मेलन और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा क्रमशः ₹ 93.24 लाख और ₹ 52.72 लाख।

<sup>28</sup> मे0 ए टु जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>29</sup> मेसर्स ज्योति इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड।

कनेक्शन के लिए आवश्यक धनराशि ₹ 2.12 करोड़ विद्युत विभाग में जमा नहीं की गयी थी। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं किया जा सका।

अग्रेतर, भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि हरदोई रोड पर स्थित ट्रांसफर स्टेशन में चाहारदीवारी, गेट, कार्यालय स्थल और स्थल समतलीकरण का अभाव था जबकि सीतापुर रोड स्थित एक और ट्रांसफर स्टेशन बिना गेट के चल रहा था। अग्रेतर, शिवरी में लैण्डफिल साइट का कार्य अपूर्ण था।



#### 2.8.5.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा का पूर्ण क्षमता से संचालित न होना

नगर पालिका परिषद इटावा के कामेत स्थल में स्थापित किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का संचालन अगस्त 2014 में प्रारम्भ किया गया परन्तु, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण यह अपनी पूर्ण क्षमता (2250 मीट्रिक टन प्रति माह) पर संचालित नहीं था।

लेखापरीक्षा जाँच में विदित हुआ कि अनुबन्ध के अनुसार, संयंत्र के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कन्सेस्नायर<sup>30</sup> उत्तरदायी था। परन्तु, कन्सेस्नायर द्वारा यह व्यवस्था नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में निकाय क्षेत्र में प्रति माह कुल जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट 1675 मीट्रिक टन में से मात्र 825 मीट्रिक टन ही प्रसंस्कृत किया जा रहा था और शेष संयंत्र स्थल पर अप्रसंस्कृत अवस्था में ढेर किया जा रहा था। नगर पालिका



<sup>30</sup> मे0 एकार्ड हाइड्रोएयर प्रा0 लि0।

परिषद द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया गया कि विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता संयंत्र स्थल पर मात्र तीन से चार घंटे के लिए ही थी।

### **2.8.5.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र की अपर्याप्त क्षमता**

नगर पालिका परिषद, कन्नौज में वर्ष 2015–16 में नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रतिमाह उत्पन्न औसत मात्रा 984 मीट्रिक टन थी। जबकि, नगर पालिका परिषद, कन्नौज में स्थापित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र की क्षमता मात्र 750 मीट्रिक टन प्रतिमाह थी। अनुबंध के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट में वास्तविक वृद्धि और प्रसंस्करण की आवश्यकता को दृष्टिगत कर नगर निकाय और कन्सेस्नायर के मध्य आपसी सहमति से इस टन भार को आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए था। तथापि, नगर पालिका परिषद द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट की उत्पन्न मात्रा में वृद्धि की आवश्यकताओं के अनुरूप संयंत्र पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की मात्रा को पुनरीक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाया था और इसलिए अवशेष 234 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रति माह अपसंस्कृत था और सड़क किनारे ढेर किया जा रहा था।

### **2.8.5.6 अनुचित स्थानों पर नगरीय ठोस अपशिष्टों की डम्पिंग किया जाना**

उपर चर्चा किए गये सात प्रकरणों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि 29 नमूना जाँचे गये शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और समुचित डम्पिंग स्थल उपलब्ध नहीं था। नमूना जाँच की गई 31 शहरी स्थानीय निकायों (उन दो शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए जिसमें संयंत्र अधिस्थापित नहीं हो सके थे) में उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्टों (वर्ष 2011 से 2016 के मध्य औसतन 9007 मीट्रिक टन प्रति माह) को सड़कों के किनारों पर, कम गहरायी वाली भूमि आदि पर ढेर किया जा रहा था। चूँकि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बिना वैज्ञानिक उपचार के कचरे को खुले वातावरण में रखा जा रहा था, इसलिए मिट्टी और भूजल के प्रदूषित होने के कारण मनुष्यों के लिए अधिक जोखिम बना हुआ है।

अग्रेतर, जून 2012 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए और भरावक्षेत्र पर निस्तारण के लिए, उन समस्त शहरी स्थानीय निकायों जिसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, को 10 एकड़ भूमि को चिन्हित करने का आदेश दिया। लेकिन मार्च 2016 तक, शेष 29 शहरी स्थानीय निकायों में से (सात शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर जिसमें क्रियाशील/निष्क्रिय संयंत्र थे), नगर पालिका परिषद, छिबरामऊ को छोड़कर, किसी ने भी उक्त के लिए आवश्यक भूमि को चिन्हित नहीं किया था।

## **2.8.6 अन्य विविध मुद्दे**

### **2.8.6.1 टिपिंग शुल्क का अनियमित भुगतान**

नगर निगम कानपुर एवं लखनऊ में कन्सेस्नायर अनुबन्ध के अनुसार, रख-रखाव और संचालन के लिए चयनित निविदादाता द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव में उद्धृत दरों के अनुसार व्यावसायिक संचालन की तिथि (सी.ओ.डी.)<sup>31</sup> से कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था।

<sup>31</sup> कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार सीओडी का आशय परियोजना के व्यावसायिक संचालन की उस तिथि से है जिस पर निर्माण पर्यवेक्षक द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया हो।



लेखापरीक्षा जाँच में विदित हुआ कि नगर निगम कानपुर ने दिसम्बर 2010 से ही कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क का भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया था जबकि संयंत्र की सी.ओ.डी. मई 2012 थी। इस प्रकार, नगर निगम द्वारा कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में ₹ 19.87 करोड़ (दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2012) का भुगतान अनियमित था।

अपने उत्तर में नगर निगम कानपुर द्वारा बताया गया कि कन्सेस्नायर से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन का कार्य अक्टूबर 2010 से ही लिया जा रहा था एवं तदनुसार टिपिंग शुल्क का भुगतान किया गया था। निकाय द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कृत्य अनुबन्ध के उपबन्धों के विपरीत था।

इसी प्रकार, नगर निगम लखनऊ में भी परियोजना के अपूर्ण रहते हुये भी, जैसा कि प्रस्तर 2.8.5.3 में दिया गया है, व्यावसायिक संचालन घोषित हुये बिना कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में ₹ 18.10 करोड़ (वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के लिए) का अनियमित भुगतान किया गया था।

### **2.8.6.2 टिपिंग शुल्क की दरों में अनियमित वृद्धि**

नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अपने वित्तीय प्रस्ताव में, चार निविदादाताओं के मध्य टिपिंग शुल्क की दरों को न्यूनतम उद्धृत किये जाने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा कन्सेस्नायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और टिपिंग शुल्क की दरों को कन्सेशन अनुबंध में सम्मिलित किया गया था।

कन्सेशन अनुबंध के अनुसार, पहले तीन वर्षों के लिए टिपिंग शुल्क की दरें ₹ 562 प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया और उसके पश्चात अगले तीस वर्षों के लिए निश्चित प्रतिशत<sup>32</sup> में मूल्यवृद्धि को जोड़ते हुए दरों की गणना की गयी थी। जैसा कि प्रस्तर 2.7.5 में चर्चा की गयी है, नयी भूमि की पहचान की गयी थी और पूर्व साइट की तुलना में 12 किलोमीटर की दूरी बढ़ गयी थी। इसे ध्यान में रखते हुए कन्सेस्नायर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना/संचालन के लिए एक पुनरीक्षित व्यापार योजना (फरवरी 2014) प्रस्तुत किया गया, जिसमें टिपिंग शुल्क की दरों का पुनरीक्षण प्रस्तावित किया गया था। इस योजना की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति (मार्च 2014 में) द्वारा टिपिंग शुल्क की, दरों का विश्लेषण करते समय विभिन्न घटकों<sup>33</sup> को जोड़ा गया और पहले तीन वर्षों के लिए पुनरीक्षित दर ₹ 1,604 प्रति मीट्रिक टन की संस्तुति की गयी और उसके पश्चात टिपिंग शुल्क की दरों में 285 प्रतिशत की वृद्धि, दरों को निश्चित प्रतिशत<sup>34</sup> में मूल्य वृद्धि को जोड़ते हुये गणना करके, की गयी थी।

संवीक्षा में पाया गया कि मात्र एक परिवर्तन (साइट की दूरी में वृद्धि) हुआ था जिसने टिपिंग शुल्क के दरों को प्रभावित किया था, लेकिन पुनरीक्षित व्यापार योजना में टिपिंग शुल्क की दरों का विश्लेषण करते समय, समिति ने विभिन्न घटकों को टिपिंग शुल्क की दर विश्लेषण में जोड़ा। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के अनुसार ये घटक कन्सेस्नायर के दायित्व से संबंधित थे। इस प्रकार, दरों में 285 प्रतिशत की वृद्धि साइट के परिवर्तन से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के अनुपातिक नहीं थी और इसलिए अनियमित थी।

<sup>32</sup> चौथे से 30वें वर्ष के लिए दरें 2.60 प्रतिशत से 1.68 प्रतिशत बढ़ रही थीं।

<sup>33</sup> दस प्रतिशत टेकेदार लाभांश, तीन प्रतिशत आकस्मिकता, तीन प्रतिशत प्रशासनिक व्यय, संयंत्र के संचालन में शुद्ध हानि, वाहन ट्रेकिंग और जीपीएस मोबाइल फोन के लिए, आईईसी और शिकायत निवारण प्रणाली आदि।

<sup>34</sup> चौथे से 30वें वर्ष के लिए दरें 2.60 प्रतिशत से 1.68 प्रतिशत बढ़ रही थीं।

### 2.8.6.3 उपकरण और वाहनों का अनावश्यक क्रय

नगर पालिका परिषदों सम्मल, मिर्जापुर, कन्नौज और मैनपुरी के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में नगरीय ठोस अपशिष्ट को प्रसंस्करण एवं निस्तारण संयंत्र स्थल तक संग्रहण एवं परिवहन के लिए उपकरण एवं वाहनों के क्रय का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, सम्मल में, कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के अनुरोध (जून 2008) पर, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु निविदा के अंतिम रूप देने से पूर्व ही ₹ 1.19 करोड़ के उपकरण एवं वाहनों का क्रय एव आपूर्ति (अगस्त 2008 से नवम्बर 2008 के मध्य) किया गया। इसकी न तो नगर पालिका परिषद के भण्डार पंजिका में प्रविष्टि की गयी और न ही इसे उपयोग में लाया गया, जैसा कि भण्डार के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया था। वर्ष 2008 के बाद से ही उपकरण और वाहन जीर्ण-शीर्ण दशा में अनुपयोगी पड़े थे।



नगर पालिका परिषद, सम्मल में विगत आठ वर्षों से अप्रयुक्त पड़े यंत्र एवं उपकरण के फोटोग्राफ

इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद, कन्नौज में, कार्यदायी संस्था द्वारा कुल ₹ 21.70 लाख की लागत वाली दोहरी व्हील ट्राली पर रखे जाने वाले दो रिफ्यूज कलेक्टर क्रय किये गये एवं नगर पालिका परिषद को आपूर्ति किये गये (फरवरी 2010 और जून 2011)। आपूर्तिकर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद के वाहन चालकों को रिफ्यूज कलेक्टरों को चलाने के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जबकि यह आपूर्ति आदेश की एक पूर्व शर्त थी।



नगर पालिका परिषद कन्नौज में शिथिल पड़े रिफ्यूज कलेक्टर।

अग्रतर, इन रिफ्यूज कलेक्टरों को क्रियाशील बनाने के लिए नगर पालिका परिषद के पास पर्याप्त क्षमता के ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, क्रय के बाद से ही दोनों रिफ्यूज कलेक्टरों का उपयोग नहीं किया गया था और वे बेकार पड़े थे। इसी तरह, क्रय किये गये एवं नगर पालिका परिषद को आपूर्ति किये गये (फरवरी 2010 से अक्टूबर 2011) अन्य तीन वाहनों में से, दो वाहनों जिनकी लागत ₹ 5.70 लाख थी, पाँच वर्षों से अनुपयोगी पड़े थे।

नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश सरकार के मई 2009 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बिना आवश्यक सहमति/माँग प्राप्त किये और संयंत्र के निर्माण के काफी पूर्व ही कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 1.26 करोड़ के उपकरण और वाहनों का क्रय किया गया और फरवरी 2011 में नगर पालिका परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया। अग्रेतर, संयंत्र के अधिष्ठापन का कार्य मध्य में ही स्थगित (अगस्त 2012) कर दिया गया और कार्य अपूर्ण रहा, परिणामस्वरूप उपकरण<sup>35</sup> और वाहन<sup>36</sup> अनुपयोगी पड़े रहे और लेखापरीक्षा में देखा गया कि वे जीर्ण हो चुके थे।

इस प्रकार, उपकरण एवं वाहनों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिससे कि परियोजना के लिए इसके प्रयोग किये जाने का उद्देश्य विफल रहा।

आगे, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी में, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के अनुरोध पर ₹ 17.80 लाख की लागत वाले 100 एम.एस. कन्टेनरों का क्रय (मार्च 2013) किया गया। जबकि, नगर पालिका परिषद के पास, इन कन्टेनरों के उपयोग का विवरण अथवा स्टॉक लेखे में प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं थीं। स्टॉक प्रविष्टियों और इन कन्टेनरों के उपयोग के विवरण के अभाव में, वास्तविक क्रय की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

#### **2.8.6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट के कम संग्रहण के विरुद्ध दण्ड का अधिरोपण**

नगर निगम—कानपुर में अनुबन्ध के अनुसार, कन्सेस्नायर को प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) की आवश्यकता के अनुसार संचालन अवधि के दौरान जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट की 80 प्रतिशत मात्रा का आगणन करते हुये मासिक आधार पर न्यूनतम आगत कचरे की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। किसी माह में आगत कचरे की सकल मात्रा न्यूनतम आगत से कम होने की दशा में कन्सेस्नायर को (अ) न्यूनतम आगत की मात्रा में कमी के लिए देय टिपिंग शुल्क के 50 प्रतिशत अथवा (ब) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और सैनिटरी लैंडफिल के ओ0 एण्ड एम0 के लिए समझौते के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा ऑपरेटर को उसके गलतियों के लिए नगरीय निकाय द्वारा देय धनराशि का 120 प्रतिशत, दोनों में से जो अधिक हो, के बराबर दण्ड का भुगतान करना था।

तथापि, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा मई 2012 से जनवरी 2015 की अवधि में न्यूनतम आगत नहीं बनाए रखा गया परन्तु नगर निगम द्वारा फर्म की टिपिंग शुल्क की राशि से ₹ 14.60 करोड़ (परिशिष्ट 2.5) की दण्ड अधिरोपित नहीं की गयी थी, यद्यपि, ₹ 37.42 लाख की राशि रोकी गयी थी और नगर निगम द्वारा फर्म को भुगतान नहीं की गयी थी। इस प्रकार, रोकी गयी धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त भी धनराशि ₹ 14.23 करोड़ की दण्ड का अधिरोपण नहीं किया गया था।

नगर निगम कानपुर द्वारा कन्सेस्नायर से धनराशि ₹ 14.23 करोड़ वसूल किये जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर पर कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया।

#### **2.8.6.5 अपशिष्ट निर्मित ईंधन सुविधा स्थापित न होना**

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि तीनों शहरी स्थानीय निकायों जिसमें प्रसंस्करण केन्द्र परिचालित थे, कार्यदायी संस्था ने अपने हस्तांतरण रिपोर्ट में अपशिष्ट निर्मित

<sup>35</sup> रिक्शा, ट्रॉली और मेटैलिक कन्टेनर।

<sup>36</sup> रिफ्यूज कलेक्टर, हैण्ड कार्ट, डम्पर प्लेसर एवं ट्रेक्टर ट्रॉली।

ईंधन<sup>37</sup> सुविधा स्थापित होना सूचित किया। इसके अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय को वार्षिक रूप से उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा स्तर बेंचमार्किंग की रिपोर्ट में इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट निर्मित ईंधन सुविधा स्थापित होना सूचित किया गया था। जबकि, तीनों शहरी स्थानीय निकायों के प्रसंस्करण एवं निस्तारण केन्द्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि इस प्रकार की कोई सुविधा स्थल पर उपलब्ध नहीं थी, परिणामस्वरूप, अपशिष्ट की प्राप्ति के पश्चात अग्रेत्तर कोई प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा था।

#### 2.8.6.6 बफर जोन का विकास नहीं किया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम उल्लिखित करता है कि भराव क्षेत्र के आसपास विकास रहित क्षेत्र का बफर जोन बनाया जायेगा और नगर नियोजन विभाग की भूमि के उपयोग की योजना में सम्मिलित किया जायेगा। हालांकि, लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया गया कोई अधिसूचना अथवा सेनेटरी भराव क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को विकास रहित क्षेत्र का बफर जोन घोषित करने वाला, कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था और बस्तियाँ संयंत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। यह देखा गया कि नगर निगम कानपुर में भराव क्षेत्र के ठीक बगल में एक विद्यालय संचालित किया जा रहा था।



नगर निगम, कानपुर में भराव क्षेत्र के ठीक बगल में संचालित विद्यालय

#### 2.8.6.7 वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली

नगर निगम लखनऊ में, अनुबंध के अनुसार, कन्सेस्नायर को स्वयं की लागत और व्यय पर नगर निगम द्वारा प्रदान किये गये वाहनों को सम्मिलित करते हुये ठोस-अपशिष्टों के संग्रहण में कन्सेशनार्यर द्वारा प्रयोग किये जा रहे समस्त वाहनों में, वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली स्थापित करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में, यद्यपि, पता चला कि किसी भी वाहन, जिसके द्वारा नगर निकाय अथवा कन्सेस्नायर द्वारा ठोस अपशिष्टों का परिवहन किया जाता था, में वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं थी।

#### 2.8.6.8 संदेहास्पद निविदा प्रक्रिया एवं अधोमानक कूड़ेदानों की आपूर्ति

ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण के लिए, जुलाई 2014 में, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी ने 30 लीटर क्षमता वाली 2,500 कूड़ेदानों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि निविदा की बिक्री, जमानत जमा और खोलने की तिथि एक ही (11 जुलाई 2014) थी। आगे यह भी पाया गया कि शपथ-पत्र<sup>38</sup> जो कि सफल निविदादाता द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने (11 जुलाई 2014) के बाद प्रस्तुत किया जाना था, से एक दिन पूर्व (10 जुलाई 2014) प्रस्तुत किया गया था, जो कि निविदा प्रक्रिया पर संदेह का संकेत देता है।

<sup>37</sup> अपशिष्ट निर्मित ईंधन ठोस अवशिष्टों से निर्मित छोटे घनाकार अथवा बेलनाकार टुकड़े को इंगित करता है।

<sup>38</sup> निविदादाता और नगर पालिका परिषद के मध्य ₹100 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध के निष्पादन के संबंध में।

अग्रेतर, जांच में पाया गया कि स्वीकृति टिप्पणी, निविदा सूचना, निविदा अभिलेखों और कार्यादेश में कूड़ेदानों की सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके पश्चात् भी, निविदादाताओं ने अपनी दरें उद्धृत की और चयनित निविदादाता द्वारा मार्च 2015 में प्लास्टिक के कूड़ेदानों की आपूर्ति की गयी और आपूर्तिकर्ता द्वारा ₹ 10 लाख का बिल बिना किसी बिल-बुक संख्या अथवा क्रमांक के एक सामान्य लेटरहेड पर प्रस्तुत किया गया। इस बिल के सापेक्ष, ₹ 8.75 लाख का भुगतान, अधोमानक कूड़ेदानों की आपूर्ति के लिए ₹ 50 प्रति कूड़ेदान की कटौती कर, किया गया था। इस प्रकार, ₹ 8.75 लाख का व्यय, अधोमानक कूड़ेदानों के क्रय के लिए और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जो कि पारदर्शी नहीं थी, किये गये थे।

### 2.8.6.9 लाभार्थियों का संयुक्त सर्वेक्षण

निष्पादन लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों के 1688 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। उठाये गये विभिन्न मुद्दे और लाभार्थियों की प्रतिक्रियायें और सर्वेक्षण के परिणाम का सारांश सारणी 7 में दिया गया है:

सारणी 7: लाभार्थियों के सर्वेक्षण का परिणाम

क्र० सं०	उठाये गये मुद्दे	लाभार्थियों की स्वीकारोक्ति	
		संख्या में	प्रतिशत में
1.	वार्ड में गलियों में नियमित रूप से सफाई नहीं किया जा रहा था।	347	21
2.	वार्ड में सड़को/गलियों से नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था।	386	23
3.	वार्ड में घर-घर से कूड़ा एकत्रित नहीं किया जा रहा था।	422	25
4.	वार्ड में पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध नहीं थे।	769	46
5.	वार्ड में अलग-अलग प्रकार के कूड़ा को एकत्र करने हेतु अलग अलग रंग के कूड़ेदान उपलब्ध नहीं थे।	1,636	97
6.	वार्ड में विभिन्न प्रकार के कूड़ा को अलग-अलग करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये थे।	1,537	91
7.	कूड़े का परिवहन ढके हुए वाहनों से नहीं किया जा रहा था।	1,235	73
8.	शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों से लाभार्थी संतुष्ट नहीं थे।	341	20
9.	अपशिष्ट निस्तारण सम्बंधित शिकायतों पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गयी थी।	363	22

### अनुश्रवण

#### 2.9.1 अनुश्रवण का अभाव

भारत सरकार के नगरीय ठोस अपशिष्ट मैनुअल के अनुसार, राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को निर्देशित करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ तैयार करनी चाहिए और निकायों को उनके अनिवार्य कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रेरित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियमों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। निकाय प्राधिकरण को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों की अनुसूची-1 में दी गयी कार्यान्वयन अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए और प्रत्येक छः महीने में अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के निष्पादन का अनुश्रवण करना चाहिए।

हालांकि, यह पाया गया कि राज्य स्तर पर अनुश्रवण संबंधी कोई अभिलेख जैसे समेकित अनुश्रवण रिपोर्ट और निकाय वार कार्यान्वयन की स्थिति, इत्यादि नहीं बनायी

गयी थी। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण और निरीक्षण के मानक एवं अवधि भी राज्य द्वारा निर्धारित नहीं की गयी थी। जाँच हेतु चयनित उप-नगरीय स्थानीय निकायों, जहाँ अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधायें स्थापित थी, में भी उनके निष्पादन की नियमित आवधिक निगरानी संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

### 2.9.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट की वार्षिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 4(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक नगर निकाय हर साल 30 जून तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, और इसकी एक प्रति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर हर साल 15 सितम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित 36 नगरीय स्थानीय निकायों में से 2011-15 की अवधि में किसी ने भी अपनी रिपोर्ट उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं की थी। इसके पश्चात् भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के मानकों के अनुसार तैयार वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दिया। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में आंकड़ों की प्रामाणिकता की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि नहीं हो सकी।

### 2.9.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण की प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मानक

नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण की प्रक्रिया के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किसी भी नमूना जाँच वाले शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये गये पाँच<sup>39</sup> शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम कानपुर को छोड़कर किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट को मिट्टी से नहीं ढका गया था अथवा लीचेट संग्रहण सिस्टम का विकास नहीं किया गया। भूमिगत जल संदूषण और वायु प्रदूषण के नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु इनमें किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लैण्डफिल साइट का आवधिक अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था। पुनः, शेष 31 शहरी स्थानीय निकायों, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित अथवा क्रियाशील नहीं था, में नगरीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय क्षेत्र में जहाँ सम्भव था, फेंका गया था जो मानव जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न कर रहा था।

### 2.9.4 अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के लिए स्वतंत्र अभियंता का नियुक्त न होना

अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वतंत्र अभियंता नियुक्त किया जाना था। जबकि, नगर पालिका परिषद कन्नौज, नगर पालिका परिषद मैनपुरी और नगर पालिका परिषद इटावा में, जहाँ संयंत्र परिचालन में थे, परियोजनाओं पर अभियंताओं की नियुक्ति नहीं की गयी थी और इसलिए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन की आवश्यक समीक्षा/निगरानी, नहीं की जा रही थी जैसा कि परिकल्पना की गयी थी।

<sup>39</sup> नगर पालिका परिषद-इटावा, कन्नौज और मैनपुरी; नगर निगम कानपुर एवं लखनऊ।

### 2.9.5 खाद गुणवत्ता की विशिष्टियाँ

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम खाद के सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करता है, और इसलिए अनुसूची-4 में वर्णित खाद की गुणवत्ता की विशिष्टियों का पालन होना चाहिए था (परिशिष्ट 2.7)।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नमूना जाँच किये गये तीन<sup>40</sup> शहरी स्थानीय निकायों, जहाँ संयंत्र परिचालन में था, में खाद एक उत्पाद के रूप में एकत्र किया गया था और वहाँ उत्पादन की मात्रा, किसानों को इसकी बिक्री, निर्धारित मापदंडों पर खाद की गुणवत्ता का परीक्षण सत्यापित करने, खाद के सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित विधि सम्बन्धी कोई अभिलेख नहीं थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट संचालकों का कार्य करने वालों के स्वास्थ्य की जाँच नहीं की जा रही थी।

### 2.9.6 सेवा स्तर बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जुलाई 2008) में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सेवा स्तर बेंचमार्क एस0एल0बी0) हस्तपुस्तिका में आठ निष्पादन संकेतक इंगित किये गये थे। भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट में निर्धारित सेवा स्तर बेंचमार्क के आठ निष्पादन संकेतकों और उनके विरुद्ध चयनित 36 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 निकायों (2 नगर निगमों और 15 नगर पालिका परिषदों) की उपलब्धि सारणी 8 में दर्शायी गयी। शेष शहरी स्थानीय निकायों (19 नगर पंचायतों) ने एस0एल0बी0 रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी थी।

सारणी 8: वर्ष 2012-16 की अवधि में भारत सरकार के सेवा स्तर बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि

सेवा स्तर बेंचमार्क संकेतक	राष्ट्रीय बेंचमार्क (प्रतिशत)	सेवा स्तर बेंचमार्क को प्राप्त करने वाले न0नि0/न0पा0प0 की संख्या	सेवा स्तर बेंचमार्क प्राप्त प्रतिशत का स्तर (प्रतिशत में)
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का परिवार स्तर तक विस्तार	100	शून्य	सात शहरी स्थानीय निकायों में 02 से 82 प्रतिशत, 10 नगर पालिकाओं की उपलब्धि शून्य है।
नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण में दक्षता	100	नौ	केवल आठ शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्धि 79 से 99 प्रतिशत।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण विस्तार	100	एक	केवल 02 शहरी स्थानीय निकायों में 11 से 68 प्रतिशत, 14 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
रिकवर किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार	80	एक	चार शहरी स्थानीय निकायों में 47 से 73 प्रतिशत, 12 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण का स्तर	100	दो	शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की दक्षता	80	16	एक शहरी स्थानीय निकाय में 79 प्रतिशत उपलब्धि।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु लागत की वसूली का विस्तार	100	शून्य	दो शहरी स्थानीय निकायों में 59 से 82 प्रतिशत उपलब्धि, 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली में दक्षता	90	एक	एक शहरी स्थानीय निकाय में 80 उपलब्धि, 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।

(स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित सूचना)

<sup>40</sup> नगर पालिका परिषद-इटावा, कन्नौज और मैनपुरी।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 17 नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में से कोई भी संग्रहण, पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण सेवाओं हेतु लागत की वसूली आदि से सम्बंधित राष्ट्रीय बेंचमार्क को प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे।

**अनुशंसा: नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों को भी अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।**

## 2.10 निष्कर्ष

- राज्य सरकार ने राज्य के 95 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण की सुविधा को मंजूरी नहीं दी थी। राज्य की मात्र 1.4 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में ही यह सुविधा क्रियाशील की जा सकी थी।
- शहरी स्थानीय निकायों में उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में एक सुपरिभाषित नीति, आकस्मिक योजना और विश्वसनीय/पूर्ण डाटा का अभाव होने से अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम अप्रभावी रहे जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट का गैर-वैज्ञानिक निस्तारण होता रहा।
- सभी घरों, कार्यालयों और वाणिज्यिक परिसरों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रह और जैव अपशिष्ट क्षरणशील अपशिष्ट का संग्रह सभी नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उचित नहीं था। नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर को छोड़कर नमूना जाँच वाले किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया गया था।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रह केन्द्र खुले हुए थे और ठीक से विकसित नहीं थे। अपशिष्ट संग्रहण कूड़ादानों के लिए रंग कोड मानदंड का पालन नहीं किया गया था।
- अपशिष्ट संग्रहण कूड़ादानों की कमी नमूना जाँच किये गये सभी शहरी स्थानीय निकायों में पायी गयी थी। जाँच किये गये अधिकांश निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट जलता हुआ देखा गया था।
- नमूना जाँच वाले किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में अंतिम निस्तारण के लिए संचरण के पूर्व स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण के किसी भी चरण पर नहीं किया जा रहा था।
- नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन बिना ढके किया जा रहा था।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुश्रवण प्रणाली में राज्य स्तर पर और जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की कमी थी।

प्रकरणों की सूचना शासन को प्रेषित की गयी (अक्टूबर 2016), उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।